न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 123/2025

अनवान : –

1. विशाल पुत्र स्व0 छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. आकाश पुत्र स्व0 छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सुमन देवी पत्नी स्व0 छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
2. भीमसैन पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
110, 111 मय सपठित धारा 128 एलआरएक्ट
श्री नरेन्द्र वर्मा अधि0 प्रार्थीगण
राजपैरोकार

निर्णय **दिनांक** 05/01/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि चक नं0 10 एनजीसी पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता सं0 66 /155 में कुल 1.265 है0 आराजी मय गै०मु० में प्रार्थीगण प्रत्येक का 7/18 हिस्सा, व अप्रार्थी सं0 2 का 1/6 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है । नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक नं0 10 एनजीसी पटवार हल्का चन्दूरवाली के खाता सं0 66 /155 कुल 1.265 है0 आराजी मय गै०मु० में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के ऑन लाईन सीमाज्ञान की पालना में पैमाईश के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये तथा पटवारी हल्का चन्दूरवाली द्वारा कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी के आदेश क्रमांक आवेदन क्रमांक 2025/11148/2 में चकनं0 10 एनजीसी के प0न0 204 / 254, प0न0 204/255 के मौका पर मौजूद स्थाई पत्थर 207/254, प0न0 206/256, पन0 206 / 255 से उपस्थित मौतबिरान की आपसी सहमति से जरीब चलाकर प0न0 204/254 के किला नं० 11, 20, 21, 22, प०न० 204/255 किलानं0 1/1/.215, 1/2/.038 है0 कुल 1.265 है0 रकबा का सीमाज्ञान करवाकर निशान देही दी गई। मौतबिरान के समक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रार्थीगण को निशान दे दिये गये । पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशानदेही के अनुसार प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है । प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि पडौसीयान के साथ किसी प्रकार का विवाद आदि नही रहे । प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नं0 10 एनजीसी के खाता सं0 66/155 के प0न0 204/254 मु0 7 के किला नं0 11,20,21, 22, प0न0 204/255 मु0 8 किलानं० 1/1/.215, 1/2/.038 है0 मय गै०मु० कुल 1.265 है० मय गै०मु० भूमि जिसके पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये तथा पर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर काबिज होना चाहते है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान नही होने के कारण प्रार्थीगण को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा पाने के अधिकारी है। यही प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं० 1 को कई मर्तबा कहा कि वो प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि पर पटवारी हल्का पैमाईश के निशान दिये गये एंव उपरोक्त निशान पर एंव प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो जिस पर अप्रार्थी सं0 1 कुछ दिन तक तो आजकल – 2 करता रहा आखिर मुकाम तहसील परिसर टिब्बी में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना तहसील टिब्बी के चक नं0 10 एनजीसी के खाता सं0 66/155 के प०न० 204/ 254 मु0 7 के किला नं० 11,20,21, 22, प0न0 204 / 255 मु08 किलानं0 1/1/.215, 1/2/.038 है0 मय गै०मु० कुल 1 265 है0 मय गै०मु० भूमि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी सं० 1 को दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 2 हाजिर अदालत नहीं होने पर अप्रार्थी सं0 2

उपखण्ड अधिकारी एवं
दिन महायक कलेक्टर
टिब्बी

के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा रोही चन्दूरवाली के चक 10 एनजीसी के खाता सं0 66/ 155 में कुल 1.265 है0 कृषि भूमि की पैमाईश के आदेश ऑनलाईन सीमाज्ञान आवेदन क्रमांक 2025/ 11148 / 2 की पालना में हल्का पटवारी को दिये गये जिसके पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा जरीब चलाकर पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान कर निशान पूर्व में दिये जा चुके है। प्रार्थी ने पत्थगढ़ी वास्ते आपके न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अगर उक्त खातेदारी भूमि चक 10 एनजीसी के खाता सं0 66/155 में कुल 1.265 है0 की पत्थगढ़ी की जाती है तो राज्यहित प्रभावित नही होता । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार आदेश फरमाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट आदेश क्रमांक 2025/11148/2 की पालना के अनुसार उक्त आराजी की पैमाईस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर चक नं0 10 एनजीसी के खाता सं0 66/155 के प०न० 204/254 मु0 7 के किला नं० 11,20,21, 22, प0न0 204/255 मु08 किलानं0 1/1/.215, 1/2/.038 है0 मय गै०मु० कुल 1 265 है0 मय गै०मु० भूमि की पैमाईश कर हल्का पटवारी व अन्य मौतबिरान ने अपने हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई चित्रप्रति दैनिक डायरी संलग्न पत्रावली है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में हुआ है जिसके स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं0 1 को कोई ऐतराज नहीं है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नहीं है। तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 110-111 एलआरएक्ट सपठित धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते है कि वे चक नं0 10 एनजीसी के खाता सं0 66/155 के प०न० 204/ 254 मु0 7 के किला नं० 11,20,21, 22, प0न0 204 / 255 मु08 किलानं0 1/1/.215, 1/2/.038 है0 मय गै०मु० कुल 1 265 है0 मय गै०मु० भूमि में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवित् पत्थरगढी व पैमाईश करावें। पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त मु0न0/किला न0 में दर्ज प्रार्थी एवं अन्य प्रभावित काश्तकार/पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी व पैमाईश किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/01/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़